अण्डमान निकोबार द्वीप समाचार

चिकित्सीय आपातकाल/एम्बुलेंस सेवा के लिए कृपया 112 पर डायल करें।

रजि.न.34300/80 संख्या 201 श्री विजय पुरम, मंगलवार, 28 जुलाई 2026 web: dt.andamannicobar.gov.in 2.00 रूपए

पांच नई एसटीएस बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया

उत्तर व मध्य अण्डमान की विभिन्न एसटीएस इकाइयों में मौजूदा बेड़े को बढ़ाने के लिए नई बसें तैनात की जाएंगी।

श्री विजय पुरम, 27 जुलाई

संघ राज्य क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के आधुनिकीकरण एवं विस्तार के निरंतर प्रयासों के तहत परिवहन विभाग ने आज राज्य परिवहन सेवा (एसटीएस) के बेड़े में पांच नई खरीदी गई बसों को शामिल किया। इन बसों को अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव डॉ. चंद्र भूषण कुमार, आईएएस, ने प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई इन नई बसों को उत्तर व मध्य अण्डमान की विभिन्न एसटीएस इकाइयों में तैनात किया जाएगा, ताकि वर्तमान बस बेड़े को सुदृढ़ किया जा सके, परिवहन संपर्क में सुधार हो तथा आम जनता को सुरक्षित, विश्वसनीय एवं आरामदायक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।

परिवहन विभाग से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार इन नई बसों को शामिल करने का उद्देश्य पुरानी हो चुकी बसों के स्थान पर नई बसें उपलब्ध कराना तथा विशेष रूप से उत्तर व मध्य अण्डमान के ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में राज्य परिवहन सेवा की परिचालन क्षमता को बढ़ाना है, जहां लोगों की दैनिक आवागमन आवश्यकताओं की पूर्ति में सार्वजनिक परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह पहल द्वीपवासियों को अधिक दक्ष, भरोसेमंद एवं यात्री–अनुकूल परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रति प्रशासन की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय तटीय सुरक्षा समिति की सातवीं बैठक आयोजित

श्री विजय पुरम, 27 जुलाई

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आज श्री विजय पुरम स्थित अण्डमान तथा निकोबार सचिवालय के सम्मेलन कक्ष में संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय तटीय सुरक्षा समिति (यूटीएलसीएससी) की सातवीं बैठक आयोजित की गई।

बैठक में अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के पुलिस महानिदेशक, आयुक्त–सह–सचिव (गृह), सचिव (गृह), समिति के सदस्य, प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस समुद्री बल (पीएमएफ), अण्डमान तथा निकोबार पुलिस, भारतीय तटरक्षक बल, संयुक्त अभियान केंद्र, अण्डमान निकोबार कमान (एएनसी), ज़िला प्रशासन तथा तटीय एवं समुद्री सुरक्षा से संबंधित अन्य विभागों एवं एजेंसियों के अधिकारी उपस्थित रहे।

यहां प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, समिति ने संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय तटीय सुरक्षा समिति की छठी बैठक में लिए गए निर्णयों एवं सिफारिशों पर की गई कार्रवाई प्रतिवेदनों (एटीआर) की समीक्षा की। बैठक में तटीय सुरक्षा, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय, परिचालन तैयारियों, आधारभूत संरचना विकास, निगरानी व्यवस्था, संचार प्रणालियों तथा संघ राज्य क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को और सुदृढ़ बनाने से संबंधित अन्य उपायों पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। मुख्य सचिव ने प्रभावी तटीय निगरानी, समयबद्ध सूचना आदान–प्रदान तथा समुद्री सुरक्षा से संबंधित उभरती चुनौतियों पर त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों के बीच निरंतर समन्वय बनाए रखने पर बल दिया। बैठक में भाग लेने वाली सभी एजेंसियों ने समन्वित प्रयासों तथा बैठक में लिए गए निर्णयों के समयबद्ध क्रियान्वयन के माध्यम से अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की तटीय सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान

प्रत्येक माह की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क प्रसवपूर्व स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया

श्री विजय पुरम, 27 जुलाई

भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) प्रारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक माह की 9 तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं को सार्वभौमिक रूप से निःशुल्क, सुनिश्चित, व्यापक एवं गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व देखभाल (एंटीनैटल केयर) उपलब्ध कराना है।

वर्ष 2016 में प्रारंभ किए गए इस अभियान के अंतर्गत गर्भावस्था की द्वितीय एवं तृतीय तिमाही में महिलाओं को चिन्हित सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसवपूर्व देखभाल सेवाओं का न्यूनतम पैकेज सुनिश्चित किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य प्रजनन, मातृ, नवजात, शिशु एवं किशोर स्वास्थ्य (आरएमएनसीएच़ए) रणनीति के अंतर्गत नैदानिक जांच एवं परामर्श सेवाओं सहित प्रसवपूर्व देखभाल (एएनसी) की गुणवत्ता एवं कवरेज में सुधार करना है।

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का क्रियान्वयन 9 सितंबर, 2016 से किया जा रहा है। प्रत्येक माह की 9 तारीख को चिन्हित सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सकों द्वारा जांच सहित सभी आवश्यक मातृ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2025–26 के दौरान कुल 3,626 गर्भवती महिलाओं की जांच की गई तथा इसी अवधि में 550 उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को आगे के उपचार हेतु जीबी पंत अस्पताल भेजा गया।

यहां प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत प्रत्येक गर्भवती महिला को गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व देखभाल उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें हीमोग्लोबिन (एचबी), मूत्र एल्ब्यूमिन, वीडीआरएल, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट (ओजीटीटी) तथा अल्ट्रासाउंड सहित सभी आवश्यक जांचें की जाती हैं। इससे उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की समय पर पहचान, रेफरल, उपचार एवं अनुवर्ती देखभाल सुनिश्चित होती है तथा सभी गर्भवती महिलाओं को निर्धारित प्रसवपूर्व जांचें समय पर पूरी करने में सहायता मिलती है।

नशा मुक्ति अभियान के तहत नशा मुक्त समाज को बढ़ावा देना

डीसी–एसपी वॉलीबॉल कप–2026 का शुभारंभ

श्री विजय पुरम, 27 जुलाई।

दक्षिण अण्डमान ज़िला प्रशासन ने पुलिस विभाग एवं अन्य विभागों के सहयोग से 27 जुलाई, 2026 को वंडूर तट पर डीसी–एसपी कप अंतर–ग्राम वॉलीबॉल चैम्पियनशिप–2026 का शुभारंभ किया। इस चैम्पियनशिप का उद्देश्य खेलों को बढ़ावा देना, युवाओं का सशक्तिकरण एवं सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना है, साथ ही नशा मुक्त अभियान एवं स्वच्छ भारत अभियान के प्रति जन–जागरूकता फैलाना भी है।

उद्घाटन समारोह में दक्षिण अण्डमान के उपायुक्त तथा दक्षिण अण्डमान के पुलिस अधीक्षक ने मुख्य अतिथि के रूप में गरिमामयी उपस्थिति दर्ज़ की। इस अवसर पर ज़िला प्रशासन एवं पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के अधिकारी, खिलाड़ी, युवा एवं स्थानीय निवासी उपस्थित रहे।

सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथियों ने कहा कि खेल अनुशासित एवं आत्मविश्वासी युवा नागरिकों के निर्माण में परिवर्तनकारी भूमिका निभाते हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि खेलों में रचनात्मक सहभागिता न केवल शारीरिक फिटनेस एवं टीम भावना को विकसित करती है, बल्कि मादक पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध एक प्रभावी निवारक के रूप में भी कार्य करती है। युवाओं को खेल गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने तथा अपनी ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण, स्वस्थ जीवनशैली एवं सामुदायिक सेवा की दिशा में लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

उद्घाटन कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छ भारत अभियान के तहत समुद्र तट स्वच्छता अभियान भी चलाया गया, जिसमें अधिकारियों, खिलाड़ियों, स्वयंसेवकों एवं स्थानीय निवासियों ने सामूहिक रूप से वंडूर तट की सफाई की। प्रतिभागियों ने सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ बनाए रखने तथा तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई।

चैम्पियनशिप का शुभारंभ विम्बर्लीगंज ग्राम पंचायत एवं वंडूर ग्राम पंचायत के बीच रोमांचक उद्घाटन मुकाबले के साथ हुआ। उत्कृष्ट टीम भावना एवं खेल भावना का प्रदर्शन करते हुए वंडूर ग्राम पंचायत ने दर्शकों के उत्साहपूर्ण समर्थन के बीच उद्घाटन मुकाबले में विजय प्राप्त की।

शेष पृष्ठ 4 पर

द्वीपों के छात्रों के लिए आरक्षित सीटों के आवंटन के लिए अनंतिम योग्यता सूची आज जारी होगी

श्री विजय पुरम, 27 जुलाई

वर्ष 2026–27 के शैक्षणिक सत्र के लिए मुख्यभूमि के संस्थानों/कॉलेजों में बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, एमबीबीएस (मलयाली मूल) और बीएएमएस (मलयाली मूल) पाठ्यक्रमों में आरक्षित सीटों के लिए नामांकन हेतु आवेदन करने वाले अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के सभी पात्र उम्मीदवारों की पाठ्यक्रमवार व विषयवार अनंतिम योग्यता सूची 28 जुलाई, 2026 से सभी संबंधितों के निरीक्षण हेतु उपलब्ध होगी, ताकि उम्मीदवार यदि कोई दावा/आपत्तियां हों तो उन्हें प्रस्तुत कर सकें।

यहां प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई दावा/आपत्तियाँ/याचिकाएँ हों, तो उन्हें सहायक सचिव (उच्च शिक्षा), अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, सचिवालय, श्री विजय पुरम को 31 जुलाई, 2026 को शाम 5 बजे तक या उससे पहले प्रस्तुत किया जा सकता है। उम्मीदवारों के दावे/आपत्तियाँ/याचिकाएँ संबंधित उम्मीदवार के हस्ताक्षर से होनी चाहिए और उनमें उम्मीदवार का नाम और पता, शिकायत/दावे का स्वरूप, पंजीकरण संख्या, पाठ्यक्रम का नाम, उम्मीदवार की श्रेणी और अनंतिम योग्यता सूची का क्रमांक जैसी जानकारी अनिवार्य रूप से शामिल होनी चाहिए। उपरोक्त आवश्यक जानकारी के अभाव वाले किसी भी दावे व आपत्तियाँ वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे तत्काल अस्वीकार कर दिया जाएगा।

ऊपर निर्दिष्ट तिथि और समय की समाप्ति के बाद किसी भी दावे/आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा या उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ठोस एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर मास्टर ट्रेनरों के लिए कार्यशाला आज से

श्री विजय पुरम, 27 जुलाई।

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत अण्डमान तथा निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति (एएनपीसीसी), सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई), नई दिल्ली के सहयोग से 28 एवं 29 जुलाई, 2026 को श्री विजय पुरम स्थित आपदा प्रबंधन निदेशालय के प्रशिक्षण कक्ष में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के प्रभावी क्रियान्वयन पर संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय मास्टर ट्रेनर क्षमता निर्माण कार्यशाला–सह–मार्गदर्शन अभ्यास का आयोजन कर रही है।

यह कार्यशाला भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की भारत–नॉर्वे समुद्री प्रदूषण पहल (आईएनएमपीआई) चरण–द्वितीय के अंतर्गत आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 तथा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (समय–समय पर संशोधित) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संस्थागत क्षमताओं को सुदृढ़ करना है।

यहां प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, दो दिवसीय इस कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी विभागों, शहरी एवं ग्रामीण

शेष पृष्ठ 4 पर

CMYK

"एक पेड़ मां के नाम" : मर्केंटाइल मरीन विभाग ने वृक्षारोपण अभियान चलाया

श्री विजय पुरम, 27 जुलाई

मर्केंटाइल मरीन विभाग (एमएमडी), श्री विजय पुरम ने डॉ. बी. आर. अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान (डीब्राइट) की राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई–द्वितीय के सहयोग से माननीय प्रधानमंत्री की प्रमुख पहल "एक पेड़ मां के नाम" के अंतर्गत एक वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया। यह कार्यक्रम इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग (आईआरएस) तथा अण्डमान निकोबार शिप ओनर्स एसोसिएशन (एएनएसओए) के सहयोग से आयोजित किया गया।

अभियान का शुभारंभ श्री विजय पुरम स्थित मर्केंटाइल मरीन विभाग के अभियंता एवं पोत सर्वेक्षक–सह–उप महानिदेशक (तकनीकी) तथा प्रभारी सर्वेक्षक श्री गोपीकृष्णा सी. ने किया। उन्होंने प्रतिभागियों को वृक्षारोपण अभियान के उद्देश्यों से अवगत कराया तथा लगाए गए पौधों की निगरानी एवं दीर्घकालिक देखभाल सुनिश्चित करने के लिए उनका भौगोलिक टैगांकन (जियो–टैगिंग) किए जाने के महत्व पर बल दिया।

डीब्राइट की प्राचार्या प्रोफेसर (डॉ.) सनमुख कौर ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयासों के महत्व पर ज़ोर देते हुए प्रतिभागियों को प्रेरित किया तथा वृक्षारोपण अभियान को सार्थक सफल बनाने का आह्वान किया। एनएसएस इकाई–द्वितीय के कार्यक्रम अधिकारी डॉ. मुथु कुमारन ई. ने उपस्थित जनों का स्वागत किया तथा माननीय प्रधानमंत्री की प्रमुख पहल "एक पेड़ मां के नाम" के महत्व पर प्रकाश डाला, जो प्रत्येक नागरिक को अपनी माता के सम्मान में एक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करती है। कैप्टन आर. अनंत कुमार, मास्टर मेरिनर, ने कार्यक्रम के आयोजन में मर्केंटाइल मरीन विभाग, डीब्राइट, आईआरएस तथा एएनएसओए के संयुक्त प्रयासों की सराहना की तथा पर्यावरणीय सततता के लिए भविष्य में भी इस प्रकार की साझेदारी जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया।

यहां प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, संस्थान परिसर में लगभग 100 पौधे लगाए गए, जिसमें बी. टेक. के विद्यार्थियों, संकाय सदस्यों, कर्मचारियों तथा सहयोगी संस्थाओं के अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का समापन लगाए गए पौधों का संरक्षण एवं संवर्धन करने तथा सामूहिक रूप से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में निरंतर कार्य करने के संकल्प के साथ हुआ।

मायाबंदर कॉलेज में संसाधन व्यक्तियों व अतिथि संकाय का अद्यतन पैनल जारी

मायाबंदर, 27 जुलाई

शैक्षणिक सत्र 2026–2027 के लिए महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय, मायाबंदर, उत्तर व मध्य अण्डमान के संसाधन व्यक्तियों/अतिथि संकाय का अद्यतन पैनल **https://mggcm.and.nic.in** तथा **www.andamannicobar.gov.in** वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

यहां प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, चयनित अभ्यर्थियों से अनुरोध किया गया है कि वे रिपोर्टिंग के समय सत्यापन हेतु अपने मूल शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों के साथ, यदि लागू हो, तो स्थानीय प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करें। गैर–स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए डेमो कक्षाएं ऑनलाइन तथा स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए ऑफलाइन आयोजित की जाएंगी। डेमो कक्षाओं की तिथि एवं समय की सूचना अभ्यर्थियों को दूरभाष के माध्यम से दी जाएगी।

ठोस एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन

——————————————पृष्ठ 1 का शेष

स्थानीय निकायों, अपशिष्ट प्रबंधन एजेंसियों, बड़े अपशिष्ट उत्पादकों, स्वयं सहायता समूहों, गैर–सरकारी संगठनों तथा अन्य प्रमुख हितधारकों के अधिकारी भाग लेंगे। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई), नई दिल्ली और अण्डमान तथा निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति (एएनपीसीसी) के तकनीकी विशेषज्ञ स्रोत स्तर पर अपशिष्ट पृथक्करण, अपशिष्ट की मात्रा निर्धारण एवं विशेषताओं का आकलन, सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाओं (एमआरएफ), विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर), प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, बड़े अपशिष्ट उत्पादकों द्वारा नियमों के अनुपालन तथा द्वीप पारिस्थितिकी तंत्र में सतत अपशिष्ट प्रबंधन की अन्य सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों पर संवादात्मक सत्र आयोजित करेंगे।

एएनपीसीसी ने संबंधित सरकारी विभागों एवं हितधारकों को इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे मास्टर ट्रेनरों का समूह तैयार करना है, जो पूरे संघ राज्य क्षेत्र में अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन को बढ़ावा दे सकें। यह पहल पर्यावरण संरक्षण, सतत अपशिष्ट प्रबंधन तथा स्वच्छ एवं स्वस्थ अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के निर्माण के प्रति प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

डीसी–एसपी वॉलीबॉल कप–2026

——————————————पृष्ठ 1 का शेष

खेलों को नशा मुक्त अभियान, स्वच्छ भारत अभियान तथा पर्यावरण संरक्षण के संदेशों के साथ जोड़ते हुए इस चैम्पियनशिप का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ, ज़िम्मेदार एवं अनुशासित जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है, ताकि वे समाज के प्रति सकारात्मक योगदान दे सकें। प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, डीसी–एसपी कप अंतर–ग्राम वॉलीबॉल चैम्पियनशिप–2026 दक्षिण अण्डमान के विभिन्न स्थलों पर जारी रहेगी। इसमें विभिन्न ग्राम पंचायतों की टीमें भाग लेंगी तथा एकता, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा एवं स्वच्छ, स्वस्थ तथा नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना को बढ़ावा दिया जाएगा।

कैंपबेल बे में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 पर प्रशिक्षण संचालित

श्री विजय पुरम, 27 जुलाई

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के अंतर्गत 25 जुलाई, 2026 को सामुदायिक विकास (सीडी) खंड, कैंपबेल बे में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 पर खंड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण सत्र का संचालन श्री सी.एच. किरण कुमार, डोमेन विशेषज्ञ (आईटी) एवं राज्य पंचायत संसाधन केंद्र (एसपीआरसी), राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ग्रामीण विकास, पंचायती राज संस्था एवं शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय के संकाय सदस्य द्वारा किया गया। उन्होंने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के प्रमुख प्रावधानों की विस्तृत जानकारी देते हुए ज़मीनी स्तर पर प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डाला।

सत्र के दौरान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन की प्रमुख रणनीतियों पर भी चर्चा की गई, जिससे प्रतिभागियों को पंचायतों में नियमों के प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका एवं ज़िम्मेदारियों की बेहतर समझ प्राप्त हो सके।

सक्रिय सहभागिता एवं व्यावहारिक शिक्षण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कार्यक्रम में क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियों, सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों तथा संभावित समाधानों पर संवादात्मक समूह चर्चाएं भी आयोजित की गईं। यहां प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, कार्यक्रम में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं पंचायत सचिवों ने भाग लिया। प्रशिक्षण का उद्देश्य पंचायत प्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं की क्षमता का विकास करना तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के संबंध में उनकी समझ को सुदृढ़ बनाना था, ताकि पंचायतों में वैज्ञानिक एवं सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

पुलिस थाना डिगलीपुर में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के लिए आधारभूत प्रशिक्षण प्रारंभ

श्री विजय पुरम, 26 जुलाई

पुलिस थाना डिगलीपुर, उत्तर अण्डमान में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों (सीडीवी) के लिए 10 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य समुदाय की आपदा तैयारी को सुदृढ़ करना तथा स्वयंसेवकों की आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाना है। 27 जुलाई, 2026 को प्रधान आरक्षी खोखन चंद्र दास द्वारा 19 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। यह 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को आपदा प्रबंधन, बचाव कार्यों तथा अन्य जन सुरक्षा संबंधी पहलों में प्रभावी सहयोग देने के लिए आवश्यक ज्ञान एवं कौशल से सुसज्जित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार उत्तर व मध्य अण्डमान ज़िला पुलिस समुदाय की सहभागिता को सुदृढ़ करने तथा आपातकालीन परिस्थितियों में प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम प्रशिक्षित स्वयंसेवकों का मजबूत दल तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है।

कालीकट के अन्नपूर्णा गौशाला में लगा पशु चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर

श्री विजय पुरम, 27 जुलाई।

पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग द्वारा वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सालय गाराचरामा एवं उनकी टीम के माध्यम से 25 जुलाई, 2026 को दक्षिण अण्डमान के कालीकट स्थित अन्नपूर्णा गौशाला में व्यापक पशु चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया।

शिविर के दौरान पशुओं के स्वास्थ्य की व्यवस्थित निगरानी की गई। कुल 23 रक्त नमूने एवं 22 गोबर के नमूने एकत्र कर विस्तृत प्रयोगशाला जांच हेतु पशु रोग निदान प्रयोगशाला (एडीडीएल), डॉलीगंज भेजे गए। इन नमूनों की जांच रक्त प्रोटोजोआ, रक्त परजीवी, संपूर्ण रक्त गणना (सीबीसी), वृक्क कार्य परीक्षण (आरएफटी), यकृत कार्य परीक्षण (एलएफटी) तथा सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए की गई, ताकि पशुओं के समग्र स्वास्थ्य का आकलन किया जा सके।

पशुओं की समुचित पहचान एवं अभिलेख संधारण के लिए एक क्षतिग्रस्त कान टैग को बदलकर नया कान टैग लगाया गया तथा गौशाला में नए शामिल किए गए दो पशुओं को भी कान टैग लगाए गए। निवारक स्वास्थ्य उपाय के रूप में कुल 24 पशुओं को कृमिनाशक दवा दी गई। पशुओं की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उनके सामान्य स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्रोफीड एवं फाइटोकल रुचि तरल पूरक आहार भी उपलब्ध कराया गया।

गौशाला के देखभालकर्ता को वैज्ञानिक पद्धति से पशुओं को चारा खिलाने के संबंध में विस्तृत परामर्श दिया गया। बेहतर पशु स्वास्थ्य, उत्पादकता एवं समग्र कल्याण के लिए हरे चारे, सूखे चारे, सांद्रित पशु आहार तथा पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया गया।

पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि विभाग द्वीपसमूह की विभिन्न गौशालाओं को नियमित पशु चिकित्सा सहायता, रोग निदान सेवाएं एवं तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करता रहेगा, ताकि वहां आश्रय प्राप्त पशुओं की समुचित देखभाल, रोगों की रोकथाम एवं बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित किया जा सके।

अंतर विद्यालयीय उच्च प्राथमिक स्तर फुटबॉल प्रतियोगिता

श्री विजय पुरम, 27 जुलाई

दक्षिण अण्डमान के उप शिक्षा कार्यालय द्वारा आयोजित अंतर विद्यालयीय उच्च प्राथमिक स्तर नॉकआउट फुटबॉल प्रतियोगिता (बालक एवं बालिका) 2026–27 के सेमीफाइनल मुकाबले आज 27 जुलाई, 2026 को जारी रहे। इस दौरान दक्षिण अण्डमान के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों के बीच उत्साहपूर्ण एवं प्रतिस्पर्धात्मक मुकाबले देखने को मिले।

सेमीफाइनल मुकाबलों के परिणाम जीएसएसएस भातूबस्ती मैदान	
बालक वर्ग	
प्रथम मुकाबला	जीएसएसएस भातूबस्ती ने पीएम श्री जीएसएसएस गाराचरामा को 1–0 से पराजित किया।
द्वितीय मुकाबला	एसएसएस केईएमएस ने जीएमएस डॉलीगंज को 3 गोल से पराजित किया।
बालिका वर्ग	
प्रथम मुकाबला	जीएसएसएस भातूबस्ती ने पीएम श्री जीएसएसएस गाराचरामा को 1 गोल से पराजित किया।
द्वितीय मुकाबला	जीएसएसएस स्कूल लाइन ने जीएसएसएस मॉडल को 3 गोल से पराजित किया।

इस पहल का नेतृत्व दक्षिण अण्डमान के उप शिक्षा अधिकारी श्री ज्ञानशील दुबे ने किया। कार्यक्रम में सामुदायिक सहभागिता एवं उत्साहवर्धन की सशक्त भावना देखने को मिली। इस अवसर पर श्रीमती एलिजाबेथ अब्राहम, प्रधानाध्यापिका (माध्यमिक), श्रीमती अकुली बाला हलदार, प्रधानाध्यापिका (माध्यमिक), श्री मरियप्पन, प्रधानाध्यापक (माध्यमिक) तथा श्रीमती नाज़मा बीबी, प्रधानाध्यापिका (माध्यमिक) ने श्री विजय पुरम स्थित जीएसएसएस, भातूबस्ती मैदान में अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज़ की।

यहां प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, प्रतियोगिता आगामी फाइनल मुकाबलों के साथ जारी रहेगी, जिसमें और अधिक रोमांच तथा प्रतिस्पर्धात्मक खेल भावना देखने को मिलेगी। फाइनल मुकाबले 28 जुलाई, 2026 को सुबह 8.30 बजे जीएसएसएस भातूबस्ती मैदान में आयोजित किए जाएंगे।

सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय द्वारा प्रकाशित तथा प्रबन्धक, राजकीय मुद्रणालय द्वारा मुद्रित, वितरण तथा विज्ञापन के लिए फोन–229465, प्रधान सम्पादक (प्रभारी) पी. कैरल डी. सोणी
e-mail:dweepsamachar@gmail.com

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
परिवहन निदेशालय, श्री विजय पुरम
रुचि की अभिव्यक्ति

F.No. Proc/40/2026-Purchase.Sec-TPT/I/348044/2026 दिनांक 21 जुलाई, 2026

परिवहन निदेशालय, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह (UT) के 12 द्वीपों में 14 STS यूनिट के ज़रिए पब्लिक रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस चलाता है। इसके लिए अलग–अलग मॉडल की 167 TATA बसों का बेड़ा इस्तेमाल किया जाता है। इन बसों को चलाने के लिए समय–समय पर इनकी देखरेख और मरम्मत ज़रूरी है। स्पेयर पार्ट्स, ऑटोमोटिव बैटरी, हार्डवेयर आइटम, मरम्मत का काम, टायर रिट्रेडिंग मटीरियल वगैरह समय पर उपलब्ध कराने के लिए, डिपार्टमेंट योग्य फर्मों को रजिस्टर करने के लिए उनसे 'रुचि की अभिव्यक्ति' (Expression of Interest) आमंत्रित करता है। फर्मों का रजिस्ट्रेशन तीन साल की अवधि के लिए किया जाएगा। इस अवधि के खत्म होने पर, जो रजिस्टर्ड सप्लायर रजिस्ट्रेशन जारी रखना चाहते हैं, उन्हें रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा।

इच्छुक और असली फर्में, 27/07/2026 से 03/08/2026 के बीच किसी भी कामकाजी दिन सुबह 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे के बीच, श्री विजय पुरम में परिवहन निदेशालय के खरीद अनुभाग से शेड्यूल और नियम व शर्तें ले सकती हैं।

जो फ़र्म अपना नाम लिस्ट में शामिल करवाना चाहती हैं, वे अपने वैध दस्तावेज़ (जैसे फ़र्म के रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट की कॉपी, आईडी प्रूफ, पैन कार्ड आदि) 03/08/2026 तक परिवहन निदेशालय, श्री विजय पुरम के खरीद अनुभाग में जमा कर सकते हैं। लिस्ट में शामिल होने के लिए प्रोफ़ार्मा और गाइडलाइंस http://www.dirtpt@and.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

परिवहन निदेशालय के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी 'एक्सप्रेशन ऑफ़ इंटरेस्ट' (रुचि की अभिव्यक्ति) या उसके किसी हिस्से को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

सहायक अभियंता (पी)

फर्मों के रजिस्ट्रेशन के लिए गाइडलाइंस

परिवहन निदेशक, परिवहन निदेशालय के वाहनों के बेड़े (फ़्लीट) की मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स व हार्डवेयर आइटम की सप्लाई, कंप्यूटर और पेरिफेरल्स, कार्ट्रिज और टोनर, तथा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए फाइनेंशियल ईयर 2026–27 में रजिस्ट्रेशन हेतु असली, आर्थिक रूप से सक्षम और अनुभवी फर्मों से आवेदन आमंत्रित करते हैं। जिन विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट फर्मों को रजिस्टर करने का इरादा रखता है, उन्हें शेड्यूल में दिखाया गया है।

इच्छुक फर्में निर्धारित प्रोफार्मा में ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ 03/08/2026 को 13.00 बजे से पहले ट्रांसपोर्ट डायरेक्टरेट के खरीद अनुभाग में आवेदन करें।

फर्में नीचे दिए गए शेड्यूल में बताए गए एक या अधिक प्रकार के कार्यों के लिए अलग–अलग आवेदन कर सकती हैं, जिसके साथ उन्हें डॉक्यूमेंटरी सबूत भी लगाने होंगे:

अनुसूची – I

बॉडी की मरम्मत के काम, जिनमें प्लेटिंग, वेल्डिंग, पैनलिंग, अपहोल्स्ट्री, सीट की मरम्मत, पेंटिंग, बॉडी की मरम्मत के अन्य काम आदि शामिल हो सकते हैं।

फर्मों के रजिस्ट्रेशन के लिए योग्यता की शर्तें इस प्रकार हैं :

1. फर्म का सालाना टर्नओवर पिछले तीन सालों में कम से कम 20 लाख रुपये होना चाहिए। फर्म का टर्नओवर साबित करने के लिए फर्म की बैलेंस शीट देनी होगी।
2. सरकारी वाहनों की बॉडी की मरम्मत के कम से कम तीन काम सफलतापूर्वक किए होने चाहिए और हर बार काम की कीमत दो लाख रुपये से ज़्यादा होनी चाहिए। फर्म द्वारा किए गए सभी कामों के लिए वर्क ऑर्डर की कॉपी लगानी होगी।
3. फर्म के पास बॉडी की मरम्मत के सभी काम करने के लिए ज़रूरी मशीनें होनी चाहिए। फर्म को अपने पास मौजूद मशीनों की लिस्ट देनी होगी, जिसकी जांच की जाएगी।
4. फर्म के पास बॉडी की मरम्मत के सभी काम करने के लिए ज़रूरी कुशल कर्मचारी होने चाहिए। उनके पास मरम्मत का काम करने की सुविधा होनी चाहिए। फर्म को अपने पास उपलब्ध कुशल कर्मचारियों की सूची देनी होगी, जिसकी जांच की जाएगी।
5. फर्म के पास इतनी जगह होनी चाहिए कि कम से कम दो 5200 MM व्हील बेस वाली बसें पूरी तरह से उनकी वर्कशॉप की छत के नीचे आ सकें। फर्म को शेड की तस्वीरें और उसका साइज़ देना होगा, जिसकी जांच की जाएगी।
6. संबंधित कैटेगरी के तहत MSME के तौर पर रजिस्टर्ड फर्म को पिछले टर्नओवर और पिछले अनुभव की शर्तों से छूट दी जाएगी, बशर्ते वे इसके समर्थन में सही दस्तावेज़ी सबूत जमा करें।

इच्छुक कंपनियाँ अपनी कंपनी के एनलिस्टमेंट (सूचीबद्ध होने) के लिए अपनी सहमति, नीचे दी गई जानकारी/दस्तावेज़ों के साथ, 03/08/2026 को 13.00 बजे तक जमा कर सकती हैं।

क्र. सं.	विवरण	जानकारी
1	रजिस्टर्ड वेंडर का नाम	
2	दुकान का नाम	
3	पता	
4	ईमेल (वैकल्पिक)	
5	वेबसाइट (वैकल्पिक)	
6	संपर्क नंबर	
7	बैंक का नाम, खाता नंबर और IFSC कोड आदि	

जिन चीज़ों का व्यापार किया जाता है/व्यवसाय का प्रकार – इन विवरणों के साथ नीचे दिए गए सर्टिफिकेट/दस्तावेज़ों की अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए :–

1. सक्षम अधिकारी से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
2. मालिक का आईडी प्रूफ
3. पैन कार्ड
4. डीलरशिप सर्टिफिकेट (यदि कोई हो)
5. अनुभव सर्टिफिकेट
6. प्रोप्राइटरी आइटम (यदि कोई हों)
7. पिछले तीन सालों का सालाना टर्नओवर दिखाने वाली बैलेंस शीट की कॉपी।
8. हर बार दो लाख या उससे ज़्यादा कीमत वाले वाहनों की बॉडी रिपेयर के सरकारी वर्क ऑर्डर की कॉपी।
9. फर्म के पास कम से कम 5200 MM व्हीलबेस वाली बसों को पूरी तरह से रखने के लिए उपलब्ध जगह की फोटो और जानकारी।
10. उपलब्ध मशीनों की लिस्ट
11. उपलब्ध मैनपावर की लिस्ट
12. SSI रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (यदि कोई हो)।
13. MSME सर्टिफिकेशन (यदि कोई हो)।

असिस्टेंट इंजीनियर (पी)

सप्लायर के साइन और सील

अनुसूची– II

मशीनरी का काम

फर्मों के रजिस्ट्रेशन के लिए योग्यता की शर्तें इस प्रकार हैं :–

1. फर्म का सालाना टर्नओवर पिछले दो सालों में कम से कम पाँच लाख रुपये होना चाहिए। फर्म का टर्नओवर साबित करने के लिए फर्म की बैलेंस शीट देनी होगी।
2. सरकारी विभाग के लिए मशीनिंग का काम सफलतापूर्वक कम से कम तीन बार किया होना चाहिए। फर्म द्वारा किए गए सभी कामों के लिए वर्क ऑर्डर की कॉपी लगानी होगी।
3. फर्म के पास मशीनिंग का काम करने के लिए पर्याप्त मशीनें होनी चाहिए। फर्म को अपने पास मौजूद मशीनों की लिस्ट देनी होगी, जिसकी जांच की जाएगी।
4. फर्म के पास मशीनिंग का सारा काम करने के लिए पर्याप्त कुशल कर्मचारी होने चाहिए। फर्म को अपने पास मौजूद कुशल कर्मचारियों की लिस्ट देनी होगी, जिसकी जांच की जाएगी।
5. संबंधित कैटेगरी के तहत MSME के तौर पर रजिस्टर्ड फर्म को पिछले टर्नओवर और पिछले अनुभव की शर्तों से छूट दी जाएगी, बशर्ते इसके समर्थन में सही दस्तावेज़ी सबूत जमा किए जाएं।

इच्छुक फर्म अपनी फर्म को लिस्ट में शामिल करने के लिए अपनी सहमति नीचे दी गई जानकारी/दस्तावेज़ों के साथ 03/08/2026 को 13.00 बजे तक दे सकती हैं।

क्र. सं.	विवरण	जानकारी
1	रजिस्टर्ड वेंडर का नाम	
2	दुकान का नाम	
3	पता	
4	ईमेल (वैकल्पिक)	
5	वेबसाइट (वैकल्पिक)	
6	संपर्क नंबर	
7	बैंक का नाम, खाता नंबर और IFSC कोड आदि	

जिन चीज़ों का व्यापार किया जाता है/व्यवसाय का प्रकार – इन विवरणों के साथ नीचे दिए गए सर्टिफिकेट/दस्तावेज़ों की अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए :–

1. सक्षम अधिकारी से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
2. मालिक का पहचान पत्र (ID Proof)
3. पैन कार्ड
4. पिछले तीन सालों का सालाना टर्नओवर दिखाने वाली बैलेंस शीट की कॉपी।
5. मशीनिंग के काम के लिए सरकारी वर्क ऑर्डर की कॉपी।
6. फर्म के पास उपलब्ध जगह की तस्वीरें और विवरण
7. उपलब्ध मशीनों की लिस्ट
8. उपलब्ध कर्मचारियों की लिस्ट
9. MSME सर्टिफिकेशन, यदि कोई हो।

सहायक इंजीनियर (पी)

फर्म के हस्ताक्षर और मुहर

अनुसूची– III

इलेक्ट्रिकल सामान की सप्लाई

फर्मों के रजिस्ट्रेशन के लिए योग्यता की शर्तें इस प्रकार हैं :–

1. फर्म का सालाना टर्नओवर पिछले तीन सालों में कम से कम बीस लाख रुपये होना चाहिए। फर्म के टर्नओवर को साबित करने के लिए फर्म की बैलेंस शीट जमा करनी होगी।
2. सरकारी विभाग के लिए कम से कम तीन सप्लाई ऑर्डर सफलतापूर्वक पूरे किए होने चाहिए। फर्म द्वारा किए गए सभी कामों के लिए सप्लाई ऑर्डर की कॉपी साथ लगानी होगी।
3. फर्म के पास ऐसे इलेक्ट्रिक सामान का पर्याप्त स्टॉक होना चाहिए जिनका वेरिफिकेशन किया जा सके।
4. संबंधित कैटेगरी के तहत MSME के तौर पर रजिस्टर्ड फर्म को पिछले टर्नओवर और पिछले अनुभव की शर्तों से छूट दी जाएगी, बशर्ते इसके समर्थन में वैध दस्तावेजी सबूत जमा किए जाएं।

इच्छुक फर्म अपनी फर्म को लिस्ट में शामिल करने के लिए अपनी सहमति, नीचे दी गई जानकारी/दस्तावेज़ों के साथ, 03/08/2026 को 13.00 बजे तक जमा कर सकती हैं।

क्र. सं.	विवरण	जानकारी
1	रजिस्टर्ड वेंडर का नाम	
2	दुकान का नाम	
3	पता	
4	ईमेल (वैकल्पिक)	
5	वेबसाइट (वैकल्पिक)	
6	संपर्क नंबर	
7	बैंक का नाम, खाता नंबर और IFSC कोड आदि	

जिन चीज़ों का व्यापार किया जाता है/व्यवसाय का प्रकार–इन विवरणों के साथ नीचे दिए गए सर्टिफिकेट/दस्तावेज़ों की अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए :–

1. सक्षम अधिकारी से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
2. मालिक का आईडी प्रूफ
3. पैन कार्ड
4. पिछले तीन सालों का सालाना टर्नओवर दिखाने वाली बैलेंस शीट की कॉपी।
5. सरकारी सप्लाई ऑर्डर की कॉपी।
6. दुकान की तस्वीरें और जानकारी
7. मौजूद सामान की लिस्ट
8. डीलरशिप सर्टिफिकेट (अगर कोई हो)
9. प्रोप्राइटरी आइटम (अगर कोई हों)
10. फर्म जिन सामानों का व्यापार करती है, उनकी लिस्ट।
11. MSME सर्टिफिकेशन (अगर कोई हो)।

सहायक इंजीनियर (पी)

फर्म के हस्ताक्षर और मुहर

अनुसूची–IV

बस की बॉडी की मरम्मत के लिए हार्डवेयर आइटम की सप्लाई

फर्मों के रजिस्ट्रेशन के लिए योग्यता की शर्तें इस प्रकार हैं:–

1. फर्म का सालाना टर्नओवर पिछले तीन सालों में कम से कम बीस लाख रुपये होना चाहिए। फर्म के टर्नओवर को साबित करने के लिए फर्म की बैलेंस शीट जमा करनी होगी।
2. सरकारी विभाग के लिए कम से कम तीन सप्लाई ऑर्डर सफलतापूर्वक पूरे किए होने चाहिए। फर्म द्वारा पूरी की गई सभी सप्लाई के लिए सप्लाई ऑर्डर की कॉपी साथ लगानी होगी।
3. फर्म के पास ऐसे हार्डवेयर आइटम का पर्याप्त स्टॉक होना चाहिए जिनका वेरिफिकेशन किया जा सके।
4. संबंधित कैटेगरी के तहत MSME के तौर पर रजिस्टर्ड फर्म को पिछले टर्नओवर और पिछले अनुभव की शर्तों से छूट दी जाएगी, बशर्ते वे इसके समर्थन में सही दस्तावेज़ी सबूत जमा करें।

इच्छुक फर्म अपनी फर्म को लिस्ट में शामिल करने के लिए अपनी सहमति नीचे दी गई जानकारी/दस्तावेज़ों के साथ 03/08/2026 को 13.00 बजे तक जमा कर सकती हैं।

क्र. सं.	विवरण	जानकारी
1	रजिस्टर्ड वेंडर का नाम	
2	दुकान का नाम	
3	पता	
4	ईमेल (वैकल्पिक)	
5	वेबसाइट (वैकल्पिक)	
6	संपर्क नंबर	
7	बैंक का नाम, खाता नंबर और IFSC कोड आदि	

जिन चीज़ों का व्यापार किया जाता है/व्यवसाय का प्रकार–इन विवरणों के साथ नीचे दिए गए सर्टिफिकेट/दस्तावेज़ों की अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए:–

1. सक्षम अधिकारी से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
2. मालिक का आईडी प्रूफ
3. पैन कार्ड
4. पिछले तीन सालों का सालाना टर्नओवर दिखाने वाली बैलेंस शीट की कॉपी।
5. सरकारी सप्लाई ऑर्डर की कॉपी।
6. दुकान की तस्वीरें और जानकारी
7. मौजूद सामान की लिस्ट
8. डीलरशिप सर्टिफिकेट (अगर कोई हो)
9. प्रोप्राइटरी आइटम (अगर कोई हों)
10. फर्म जिन सामानों का व्यापार करती है, उनकी लिस्ट।
11. MSME सर्टिफिकेशन (अगर कोई हो)।

सहायक इंजीनियर (पी)

फर्म के हस्ताक्षर और मुहर

अनुसूची–V

ऑटोमोटिव लुब्रिकेंट्स की सप्लाई

फर्मों के रजिस्ट्रेशन के लिए योग्यता की शर्तें इस प्रकार हैं

1. फर्म का सालाना टर्नओवर पिछले तीन सालों में कम से कम बीस लाख रुपये होना चाहिए। फर्म का टर्नओवर साबित करने के लिए फर्म की बैलेंस शीट जमा करनी होगी।
2. सरकारी विभाग के लिए कम से कम तीन सप्लाई ऑर्डर सफलतापूर्वक पूरे किए होने चाहिए। फर्म द्वारा पूरी की गई सभी सप्लाई के लिए सप्लाई ऑर्डर की कॉपी साथ लगानी होगी।
3. फर्म के पास ऐसे ऑटोमोटिव लुब्रिकेंट्स का पर्याप्त स्टॉक होना चाहिए, जिसका वेरिफिकेशन किया जा सके।
4. ऑटोमोटिव लुब्रिकेंट्स की सप्लाई के लिए अधिकृत डीलर होना चाहिए।
5. संबंधित कैटेगरी के तहत MSME के तौर पर रजिस्टर्ड फर्म को पिछले टर्नओवर और पिछले अनुभव की शर्तों से छूट दी जाएगी, बशर्ते इसके समर्थन में वैध दस्तावेजी सबूत जमा किए जाएं।

इच्छुक फर्म अपनी फर्म को लिस्ट में शामिल करने के लिए अपनी सहमति नीचे दी गई जानकारी/दस्तावेज़ों के साथ 03/08/2026 को 13.00 बजे तक जमा कर सकती हैं।

क्र. सं.	विवरण	जानकारी
1	रजिस्टर्ड वेंडर का नाम	
2	दुकान का नाम	
3	पता	
4	ईमेल (वैकल्पिक)	
5	वेबसाइट (वैकल्पिक)	
6	संपर्क नंबर	
7	बैंक का नाम, खाता नंबर और IFSC कोड आदि	

जिन चीज़ों का व्यापार किया जाता है/व्यवसाय का प्रकार – इन विवरणों के साथ नीचे दिए गए सर्टिफिकेट/दस्तावेज़ों की अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए:–

1. सक्षम अधिकारी से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
2. मालिक का आईडी प्रूफ
3. पैन कार्ड
4. पिछले तीन सालों का सालाना टर्नओवर दिखाने वाली बैलेंस शीट की कॉपी।
5. सरकारी सप्लाई ऑर्डर की कॉपी।
6. दुकान की तस्वीरें और जानकारी
7. उपलब्ध सामान की लिस्ट
8. डीलरशिप सर्टिफिकेट (अगर हो तो)
9. ऑटोमोटिव लुब्रिकेंट्स की लिस्ट, जिनका कारोबार फर्म करती है।
10. MSME सर्टिफिकेशन (अगर हो तो)।

सहायक इंजीनियर (पी)

फर्म के हस्ताक्षर और मुहर

अनुसूची–VI

टाटा बस के स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई

फर्मों के रजिस्ट्रेशन के लिए योग्यता की शर्तें इस प्रकार हैं:–

1. फर्म का सालाना टर्नओवर पिछले तीन वर्षों में कम से कम चालीस लाख रुपये होना चाहिए। फर्म के टर्नओवर को साबित करने के लिए फर्म की बैलेंस शीट जमा करनी होगी।
2. सरकारी विभाग के लिए कम से कम तीन सप्लाई ऑर्डर सफलतापूर्वक पूरे किए होने चाहिए। फर्म द्वारा पूरी की गई सभी सप्लाई के लिए सप्लाई ऑर्डर की कॉपी साथ लगानी होगी।
3. फर्म के पास ऐसे स्पेयर पार्ट्स का पर्याप्त स्टॉक होना चाहिए, जिसका वेरिफिकेशन किया जा सके।
4. स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई के लिए अधिकृत डीलर होना चाहिए।
5. संबंधित कैटेगरी के तहत MSME के तौर पर रजिस्टर्ड फर्म को पिछले टर्नओवर और पिछले अनुभव की शर्तों से छूट दी जाएगी, बशर्ते इसके समर्थन में वैध दस्तावेजी सबूत जमा किए जाएं।

इच्छुक फर्म अपनी फर्म को लिस्ट में शामिल करने के लिए अपनी सहमति, नीचे दी गई जानकारी/दस्तावेजों के साथ, 03/08/2026 को 13.00 बजे तक जमा कर सकती हैं।

क्र. सं.	विवरण	जानकारी
1	रजिस्टर्ड वेंडर का नाम	
2	दुकान का नाम	
3	पता	
4	ईमेल (वैकल्पिक)	
5	वेबसाइट (वैकल्पिक)	
6	संपर्क नंबर	
7	बैंक का नाम, खाता नंबर और IFSC कोड आदि	

जिन चीज़ों का व्यापार किया जाता है/व्यवसाय का प्रकार – इन विवरणों के साथ नीचे दिए गए सर्टिफिकेट/दस्तावेज़ों की अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए:–

1. सक्षम अधिकारी से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
2. मालिक का आईडी प्रूफ
3. पैन कार्ड
4. पिछले तीन सालों का सालाना टर्नओवर दिखाने वाली बैलेंस शीट की कॉपी
5. सरकारी सप्लाई ऑर्डर की कॉपी
6. दुकान की तस्वीरें और जानकारी
7. उपलब्ध सामान की लिस्ट
8. डीलरशिप सर्टिफिकेट (अगर हो तो)
9. प्रोप्राइटरी आइटम (अगर हों तो)
10. उन सामानों की लिस्ट जिनका व्यापार फर्म करती है
11. MSME सर्टिफिकेशन (अगर हो तो)

सहायक इंजीनियर (पी)

फर्म के हस्ताक्षर और मुहर

अनुसूची–VII

टायर रिट्रेडिंग मटीरियल की सप्लाई

फर्मों के रजिस्ट्रेशन के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:–

1. फर्म का सालाना टर्नओवर पिछले तीन वर्षों में कम से कम पाँच लाख रुपये होना चाहिए। फर्म के टर्नओवर को साबित करने के लिए फर्म की बैलेंस शीट जमा करनी होगी।
2. सरकारी विभाग के लिए कम से कम तीन सप्लाई ऑर्डर सफलतापूर्वक पूरे किए होने चाहिए। फर्म द्वारा पूरी की गई सभी सप्लाई के लिए सप्लाई ऑर्डर की कॉपी संलग्न करनी होगी।
3. टायर रिट्रेडिंग मटीरियल की सप्लाई के लिए अधिकृत डीलर होना चाहिए।
4. संबंधित श्रेणी के तहत MSME के रूप में रजिस्टर्ड फर्म को पिछले टर्नओवर और पिछले अनुभव के मानदंडों से छूट दी जाएगी, बशर्ते इसके समर्थन में वैध दस्तावेजी प्रमाण जमा किए जाएं।

इच्छुक फर्म अपनी फर्म को सूचीबद्ध (enlist) कराने के लिए अपनी सहमति निम्नलिखित जानकारी/दस्तावेजों के साथ 03/08/2026 को 13.00 बजे तक जमा कर सकती हैं।

क्र. सं.	विवरण	जानकारी
1	रजिस्टर्ड वेंडर का नाम	
2	दुकान का नाम	
3	पता	
4	ईमेल (वैकल्पिक)	
5	वेबसाइट (वैकल्पिक)	
6	संपर्क नंबर	
7	बैंक का नाम, खाता नंबर और IFSC कोड आदि	

जिन चीज़ों का व्यापार किया जाता है/व्यवसाय का प्रकार – इन विवरणों के साथ नीचे दिए गए सर्टिफिकेट/दस्तावेज़ों की अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए:–

1. सक्षम अधिकारी से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
2. मालिक का आईडी प्रूफ
3. पैन कार्ड
4. पिछले तीन सालों का सालाना टर्नओवर दिखाने वाली बैलेंस शीट की कॉपी
5. सरकारी सप्लाई ऑर्डर की कॉपी
6. दुकान की तस्वीरें और जानकारी
7. उपलब्ध सामान की लिस्ट
8. डीलरशिप सर्टिफिकेट (अगर हो तो)
9. टायर रिट्रेडिंग के उन मटीरियल की लिस्ट जिनका फर्म कारोबार करती है
10. MSME सर्टिफिकेशन (अगर हो तो)

सहायक इंजीनियर (पी)

फर्म के हस्ताक्षर और मुहर

अनुसूची–VIII

हल्के मोटर वाहनों की मरम्मत, जिसमें मैकेनिकल काम और बॉडी की मरम्मत शामिल है

फर्मों के रजिस्ट्रेशन के लिए योग्यता की शर्तें इस प्रकार हैं:–

1. फर्म का सालाना टर्नओवर पिछले तीन सालों में कम से कम दस (10) लाख रुपये होना चाहिए। फर्म का टर्नओवर साबित करने के लिए फर्म की बैलेंस शीट देनी होगी। हालाँकि, स्टार्ट–अप फर्मों के लिए यह शर्त ज़रूरी नहीं है।
2. सरकारी हल्के मोटर वाहनों की मरम्मत के कम से कम तीन काम सफलतापूर्वक पूरे किए होने चाहिए और हर बार काम की कीमत दो लाख रुपये से ज़्यादा होनी चाहिए। फर्म द्वारा किए गए सभी कामों के लिए वर्क ऑर्डर की कॉपी लगानी होगी। हालाँकि, स्टार्ट–अप फर्मों के लिए यह शर्त ज़रूरी नहीं है।
3. फर्म के पास हल्के मोटर वाहनों की मरम्मत के सभी काम करने के लिए पर्याप्त मशीनें होनी चाहिए। फर्म को अपने पास मौजूद मशीनों की लिस्ट देनी होगी, जिसकी जांच की जाएगी।
4. फर्म के पास हल्के मोटर वाहनों की मरम्मत के सभी काम करने के लिए पर्याप्त कुशल कर्मचारी होने चाहिए। फर्म को अपने पास मौजूद कुशल कर्मचारियों की लिस्ट देनी होगी, जिसकी जांच की जाएगी।
5. फर्म के पास अपनी वर्कशॉप की छत के नीचे कम से कम दो हल्के मोटर वाहनों को रखने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। फर्म को शेड की फोटो और साइज़ देना होगा, जिसकी जांच की जाएगी।
6. सीरियल नंबर 1 और 2 में बताई गई योग्यता की शर्तें स्टार्ट–अप फर्मों के लिए ज़रूरी नहीं हैं।
7. संबंधित कैटेगरी के तहत MSME के तौर पर रजिस्टर्ड फर्म को पिछले टर्नओवर और पिछले अनुभव की शर्तों से छूट दी जाएगी, बशर्ते वे इसके समर्थन में सही दस्तावेज़ी सबूत जमा करें।

इच्छुक फर्म अपनी फर्म को सूचीबद्ध (enlist) कराने के लिए अपनी सहमति निम्नलिखित जानकारी/दस्तावेजों के साथ 03/08/2026 को 13.00 बजे तक जमा कर सकती हैं।

क्र. सं.	विवरण	जानकारी
1	रजिस्टर्ड वेंडर का नाम	
2	दुकान का नाम	
3	पता	
4	ईमेल (वैकल्पिक)	
5	वेबसाइट (वैकल्पिक)	
6	संपर्क नंबर	
7	बैंक का नाम, खाता नंबर और IFSC कोड आदि	

शेष पृष्ठ 3 पर

रुचि की अभिव्यक्ति

पृष्ठ 2 का शेष

जिन चीज़ों का व्यापार किया जाता है/व्यवसाय का प्रकार – इन विवरणों के साथ नीचे दिए गए सर्टिफिकेट/दस्तावेज़ों की अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए:–

1. GST रजिस्ट्रेशन की कॉपी
2. मालिक (प्रोप्राइटर) का आईडी प्रूफ
3. आधार कार्ड की कॉपी
4. पैन कार्ड की कॉपी
5. पिछले तीन सालों का सालाना टर्नओवर दिखाने वाली बैलेंस शीट की कॉपी।
6. हर बार 2 लाख रुपये या उससे ज़्यादा की कीमत वाले, गाड़ियों की बॉडी रिपेयर के तीन सरकारी वर्क ऑर्डर की कॉपी।
7. फर्म के पास कम से कम दो लाइट मोटर व्हीकल रखने के लिए उपलब्ध जगह की फोटो और जानकारी।
8. डीलरशिप सर्टिफिकेट (अगर कोई हो)
9. प्रोप्राइटरी आइटम (अगर कोई हों)
10. उपलब्ध मशीनों की लिस्ट।
11. उपलब्ध मैनपावर की लिस्ट
12. SSI रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (अगर कोई हो)।
13. बैंक की जानकारी
14. MSME सर्टिफिकेशन (अगर कोई हो)।

मैकेनिकल इंजीनियर (पी)

फर्म के साइन और सील

अनुसूची–IX

वर्कशॉप के लिए टूल्स और इक्विपमेंट की सप्लाई

फर्मों के रजिस्ट्रेशन के लिए योग्यता की शर्तें इस प्रकार हैं:–

1. फर्म का पिछले तीन वर्षों का सालाना टर्नओवर 03 (तीन) लाख रुपये होना चाहिए। फर्म के टर्नओवर को साबित करने के लिए फर्म की बैलेंस शीट जमा करनी होगी। हालाँकि, स्टार्टअप फर्मों के लिए यह शर्त अनिवार्य नहीं है।
2. सरकारी विभागों के लिए कम से कम तीन सप्लाई ऑर्डर सफलतापूर्वक पूरे किए होने चाहिए। फर्म द्वारा पूरी की गई सभी सप्लाई के लिए सप्लाई ऑर्डर की कॉपी संलग्न करनी होगी। हालाँकि, स्टार्टअप फर्मों के लिए यह शर्त अनिवार्य नहीं है।
3. फर्म के पास टूल्स और इक्विपमेंट का पर्याप्त स्टॉक होना चाहिए, जिसकी जांच की जा सकती है।
4. क्रम संख्या 1 और 2 में बताई गई योग्यता की शर्तें स्टार्टअप फर्मों के लिए अनिवार्य नहीं हैं।
5. संबंधित कैटेगरी के तहत MSME के रूप में रजिस्टर्ड फर्म को पिछले टर्नओवर और पिछले अनुभव की शर्तों से छूट दी जाएगी, बशर्ते इसके समर्थन में वैध दस्तावेजी प्रमाण जमा किए जाएं।

इच्छुक फर्म अपनी फर्म को लिस्ट में शामिल करने के लिए अपनी सहमति निम्नलिखित जानकारी/दस्तावेजों के साथ 03/08/2026 को 13.00 बजे तक जमा कर सकती हैं।

क्र. सं.	विवरण	जानकारी
1	रजिस्टर्ड वेंडर का नाम	
2	दुकान का नाम	
3	पता	
4	ईमेल (वैकल्पिक)	
5	वेबसाइट (वैकल्पिक)	
6	संपर्क नंबर	
7	बैंक का नाम, खाता नंबर और IFSC कोड आदि	

जिन चीज़ों का व्यापार किया जाता है/व्यवसाय का प्रकार – इन विवरणों के साथ नीचे दिए गए सर्टिफिकेट/दस्तावेज़ों की अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए:–

1. GST रजिस्ट्रेशन की कॉपी
2. मालिक का आईडी प्रूफ
3. आधार कार्ड की कॉपी
4. पैन कार्ड की कॉपी
5. पिछले तीन सालों का सालाना टर्नओवर दिखाने वाली बैलेंस शीट की कॉपी
6. तीन सरकारी सप्लाई ऑर्डर की कॉपी
7. दुकान की फ़ोटो और जानकारी
8. उपलब्ध सामान की लिस्ट
9. डीलरशिप सर्टिफ़िकेट (अगर हो तो)
10. प्रोप्राइटरी आइटम (अगर हों तो)
11. बैंक की जानकारी
12. MSME सर्टिफ़िकेशन (अगर हो तो)

मैकेनिकल इंजीनियर (पी)

फर्म के हस्ताक्षर और मुहर

अनुसूची–X

फ़्यूल इंजेक्शन पम्प कैलिब्रेशन का काम

फर्मों के रजिस्ट्रेशन के लिए योग्यता की शर्तें इस प्रकार हैं:–

1. फर्म का सालाना टर्नओवर पिछले तीन सालों में कम से कम 03 (तीन) लाख रुपये होना चाहिए। फर्म के टर्नओवर को साबित करने के लिए बैलेंस शीट देनी होगी। हालांकि, स्टार्ट–अप फर्मों के लिए यह शर्त ज़रूरी नहीं है।
2. सरकारी विभागों के लिए फ़्यूल इंजेक्शन पंप के कैलिब्रेशन का काम कम से कम तीन बार सफलतापूर्वक किया होना चाहिए। फर्म द्वारा किए गए सभी कामों के वर्क ऑर्डर की कॉपी लगानी होगी। हालांकि, स्टार्ट–अप फर्मों के लिए यह शर्त ज़रूरी नहीं है।
3. फर्म के पास फ़्यूल इंजेक्शन पंप कैलिब्रेशन का काम करने के लिए पर्याप्त मशीनें होनी चाहिए। फर्म को अपने पास मौजूद मशीनों की लिस्ट देनी होगी, जिसकी जांच की जा सकती है।
4. फर्म के पास फ़्यूल इंजेक्शन पंप कैलिब्रेशन का सारा काम करने के लिए पर्याप्त कुशल कर्मचारी होने चाहिए। फर्म को अपने पास मौजूद कुशल कर्मचारियों की लिस्ट देनी होगी, जिसकी जांच की जा सकती है।
5. सीरियल नंबर 1 और 2 में बताई गई योग्यता की शर्तें स्टार्ट–अप फर्मों के लिए ज़रूरी नहीं हैं।
6. संबंधित कैटेगरी के तहत MSME के तौर पर रजिस्टर्ड फर्म को पिछले टर्नओवर और पिछले अनुभव की शर्तों से छूट दी जाएगी, बशर्ते इसके समर्थन में सही दस्तावेज़ सबूत जमा करें।

इच्छुक फर्म अपनी फर्म को लिस्ट में शामिल करने के लिए अपनी सहमति और नीचे दी गई जानकारी/दस्तावेज़ 03/08/2026 को 13.00 बजे तक जमा कर सकती हैं।

क्र. सं.	विवरण	जानकारी
1	रजिस्टर्ड वेंडर का नाम	
2	दुकान का नाम	
3	पता	
4	ईमेल (वैकल्पिक)	
5	वेबसाइट (वैकल्पिक)	
6	संपर्क नंबर	
7	बैंक का नाम, खाता नंबर और IFSC कोड आदि	

जिन चीज़ों का व्यापार किया जाता है/व्यवसाय का प्रकार – इन विवरणों के साथ नीचे दिए गए सर्टिफिकेट/दस्तावेज़ों की अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए :–

1. GST रजिस्ट्रेशन की कॉपी
2. मालिक का आईडी प्रूफ
3. आधार कार्ड की कॉपी
4. पैन कार्ड की कॉपी
5. पिछले तीन सालों का सालाना टर्नओवर दिखाने वाली बैलेंस शीट की कॉपी
6. मशीनिंग के काम के लिए तीन सरकारी वर्क ऑर्डर की कॉपी
7. फर्म के पास मौजूद जगह की फ़ोटो और जानकारी
8. उपलब्ध मशीनों की लिस्ट
9. उपलब्ध मैनपावर की लिस्ट
10. बैंक की जानकारी

मैकेनिकल इंजीनियर (पी)

फर्म के हस्ताक्षर और मुहर

अनुसूची XI

बसों और स्डट (हल्के मोटर वाहनों) के एसी की मरम्मत से संबंधित कार्य

फर्मों के पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:

1. फर्म का पिछले तीन वर्षों का सालाना टर्नओवर कम से कम 50 (पचास) हज़ार होना चाहिए। फर्म के टर्नओवर को साबित करने के लिए फर्म की बैलेंस शीट जमा करनी होगी। हालाँकि, स्टार्ट–अप फर्मों के लिए यह शर्त अनिवार्य नहीं है।
2. सरकारी विभागों के वाहनों में एसी सिस्टम की मरम्मत के कम से कम तीन कार्य सफलतापूर्वक पूरे किए होने चाहिए। फर्म द्वारा किए गए सभी कार्यों के लिए वर्क ऑर्डर की कॉपी संलग्न करनी होगी। हालाँकि, स्टार्ट–अप फर्मों के लिए यह शर्त अनिवार्य नहीं है।
3. फर्म के पास एसी मरम्मत का कार्य करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा (इंफ्रास्ट्रक्चर) होना चाहिए। फर्म को अपने पास उपलब्ध मशीनरी/उपकरणों की सूची देनी होगी, जिसकी जांच की जा सकती है।
4. फर्म के पास एसी सिस्टम की मरम्मत के सभी कार्यों को करने के लिए पर्याप्त कुशल कर्मचारी होने चाहिए। फर्म को अपने पास उपलब्ध कुशल कर्मचारियों की सूची देनी होगी, जिसकी जांच की जा सकती है।
5. क्रम संख्या 1 और 2 में बताए गए पात्रता मानदंड स्टार्ट–अप फर्मों के लिए अनिवार्य नहीं हैं।
6. संबंधित श्रेणी के तहत MSME के रूप में पंजीकृत फर्म को पिछले टर्नओवर और पिछले अनुभव के मानदंडों से छूट दी जाएगी, बशर्ते वे इसके समर्थन में वैध दस्तावेजी प्रमाण जमा करें।

इच्छुक फर्में अपनी फर्म को सूचीबद्ध (एनलिस्ट) कराने के लिए अपनी सहमति निम्नलिखित जानकारी/दस्तावेजों के साथ 03/08/2026 को 13.00 बजे तक जमा कर सकती हैं।

क्र. सं.	विवरण	जानकारी
1	रजिस्टर्ड वेंडर का नाम	
2	दुकान का नाम	
3	पता	
4	ईमेल (वैकल्पिक)	
5	वेबसाइट (वैकल्पिक)	
6	संपर्क नंबर	
7	बैंक का नाम, खाता नंबर और IFSC कोड आदि	

जिन चीज़ों का व्यापार किया जाता है/व्यवसाय का प्रकार – इन विवरणों के साथ नीचे दिए गए सर्टिफिकेट/दस्तावेज़ों की अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए:–

1. GST रजिस्ट्रेशन की कॉपी
2. मालिक का आईडी प्रूफ
3. आधार कार्ड की कॉपी
4. पैन कार्ड की कॉपी
5. पिछले तीन सालों का सालाना टर्नओवर दिखाने वाली बैलेंस शीट की कॉपी
6. मशीनिंग के काम के लिए तीन सरकारी वर्क ऑर्डर की कॉपी
7. फर्म के पास मौजूद जगह की फोटो और जानकारी
8. मौजूद मशीनों की लिस्ट
9. मौजूद मैनपावर की लिस्ट
10. बैंक की जानकारी
11. MSME सर्टिफ़िकेट (अगर हो तो)

मैकेनिकल इंजीनियर (पी)

फर्म के हस्ताक्षर और मुहर

अनुसूची–XII

विभाग के कार्गो, POL आइटम, टायर, ऑटोमोटिव बैटरी, बस आदि का द्वीपों के बीच परिवहन

फर्मों के रजिस्ट्रेशन के लिए योग्यता की शर्तें इस प्रकार हैं:

1. फर्म का सालाना टर्नओवर पिछले तीन वर्षों में कम से कम 10 (दस) लाख रुपये होना चाहिए। फर्म के टर्नओवर को साबित करने के लिए फर्म की बैलेंस शीट जमा करनी होगी। हालाँकि, स्टार्ट–अप फर्मों के लिए यह शर्त अनिवार्य नहीं है।
2. सरकारी विभागों के लिए सामान और वाहनों आदि के परिवहन का कम से कम तीन काम सफलतापूर्वक किया होना चाहिए। फर्म द्वारा किए गए सभी कामों के लिए वर्क ऑर्डर की कॉपी लगानी होगी। हालाँकि, स्टार्ट–अप फर्मों के लिए यह शर्त अनिवार्य नहीं है।
3. फर्म को पोर्ट ब्लेयर से विभिन्न द्वीपों और वापस पोर्ट ब्लेयर तक सामान्य कार्गो (जैसे स्पेयर पार्ट्स, ऑटोमोटिव बैटरी, टायर और एमएस बैरल आदि) की शिपमेंट के लिए शिपर/शिपिंग एजेंसी/फॉरवर्डिंग और क्लियरिंग एजेंट होना चाहिए। फर्म को अपने संगठन के बारे में दस्तावेज़ जमा करने चाहिए।
4. फर्म को इसी तरह के काम में एक साल के अपने अनुभव का भी विवरण देना होगा, जिसके लिए दस्तावेज़ी सबूत जमा करने होंगे।
5. क्रम संख्या 1 और 2 में बताई गई योग्यता की शर्तें स्टार्ट–अप फर्मों के लिए अनिवार्य नहीं हैं।
7. संबंधित श्रेणी के तहत MSME के रूप में रजिस्टर्ड फर्म को पिछले टर्नओवर और पिछले अनुभव की शर्तों से छूट दी जाएगी, बशर्ते वे इसके समर्थन में वैध दस्तावेज़ी सबूत जमा करें।

इच्छुक फर्में अपनी फर्म को सूचीबद्ध (enlist) कराने के लिए अपनी सहमति निम्नलिखित जानकारी/दस्तावेज़ों के साथ 03/08/2026 को 13.00 बजे तक जमा कर सकती हैं।

क्र. सं.	विवरण	जानकारी
1	रजिस्टर्ड वेंडर का नाम	
2	दुकान का नाम	
3	पता	
4	ईमेल (वैकल्पिक)	
5	वेबसाइट (वैकल्पिक)	
6	संपर्क नंबर	
7	बैंक का नाम, खाता नंबर और IFSC कोड आदि	

जिन चीज़ों का व्यापार किया जाता है/व्यवसाय का प्रकार – इन विवरणों के साथ नीचे दिए गए सर्टिफिकेट/दस्तावेज़ों की अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए:–

1. GST रजिस्ट्रेशन की कॉपी
2. मालिक (प्रोप्राइटर) का आईडी प्रूफ
3. आधार कार्ड की कॉपी
4. पैन कार्ड की कॉपी
5. पिछले तीन सालों का सालाना टर्नओवर दिखाने वाली बैलेंस शीट की कॉपी।
6. मशीनिंग के कामों के लिए तीन सरकारी वर्क ऑर्डर की कॉपी
7. बैंक की जानकारी
8. MSME सर्टिफ़िकेट (अगर हो तो)

असिस्टेंट इंजीनियर (पी)

फर्म के हस्ताक्षर और मुहर

अनुसूची–XIII

कार्गो हैंडलिंग का काम

फर्मों के रजिस्ट्रेशन के लिए योग्यता की शर्तें इस प्रकार हैं:

1. फर्म का सालाना टर्नओवर पिछले तीन सालों में कम से कम 10 (दस) लाख रुपये होना चाहिए। फर्म के टर्नओवर को साबित करने के लिए फर्म की बैलेंस शीट देनी होगी। हालांकि, स्टार्ट–अप फर्मों के लिए यह शर्त ज़रूरी नहीं है।
2. सरकारी विभागों के लिए सामान और गाड़ियों आदि के ट्रांसपोर्टेशन का कम से कम तीन काम सफलतापूर्वक किया होना चाहिए। फर्म द्वारा किए गए सभी कामों के लिए वर्क ऑर्डर की कॉपी लगानी होगी। हालांकि, स्टार्ट–अप फर्मों के लिए यह शर्त ज़रूरी नहीं है।
3. फर्म को पोर्ट ब्लेयर से अलग–अलग द्वीपों (इंटर–आइलैंड्स) तक और वहां से वापस सामान्य कार्गो (जैसे स्पेयर पार्ट्स, ऑटोमोटिव बैटरी, टायर और डै बैरल आदि) की शिपमेंट के लिए शिपर/शिपिंग एजेंसी/फॉरवर्डिंग और क्लियरिंग एजेंट होना चाहिए। फर्म को अपने संगठन के बारे में दस्तावेज़ जमा करने होंगे।
4. फर्म को इसी तरह के काम में एक साल के अपने अनुभव के बारे में भी बताना होगा, जिसके लिए दस्तावेज़ी सबूत देना होगा।
5. सीरियल नंबर 1 और 2 में बताई गई योग्यता की शर्तें स्टार्ट–अप फर्मों के लिए ज़रूरी नहीं हैं।
6. संबंधित कैटेगरी के तहत MSME के तौर पर रजिस्टर्ड फर्म को पिछले टर्नओवर और पिछले अनुभव की शर्तों से छूट दी जाएगी, बशर्ते इसके समर्थन में वैध दस्तावेज़ी सबूत जमा किए जाएं।

इच्छुक फर्में अपनी फर्म को सूचीबद्ध (enlist) कराने के लिए अपनी सहमति निम्नलिखित जानकारी/दस्तावेज़ों के साथ 03/08/2026 को 13.00 बजे तक जमा कर सकती हैं।

क्र. सं.	विवरण	जानकारी
1	रजिस्टर्ड वेंडर का नाम	
2	दुकान का नाम	
3	पता	
4	ईमेल (वैकल्पिक)	
5	वेबसाइट (वैकल्पिक)	
6	संपर्क नंबर	
7	बैंक का नाम, खाता नंबर और IFSC कोड आदि	

जिन चीज़ों का व्यापार किया जाता है/व्यवसाय का प्रकार – इन विवरणों के साथ नीचे दिए गए सर्टिफिकेट/दस्तावेज़ों की अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए:–

1. GST रजिस्ट्रेशन की कॉपी
2. मालिक का आईडी प्रूफ
3. आधार कार्ड की कॉपी
4. पैन कार्ड की कॉपी
5. पिछले तीन सालों का सालाना टर्नओवर दिखाने वाली बैलेंस शीट की कॉपी।
6. मशीनिंग के कामों के लिए तीन सरकारी वर्क ऑर्डर की कॉपी
7. बैंक की जानकारी
8. MSME सर्टिफ़िकेट, अगर हो तो।

असिस्टेंट इंजीनियर (पी)

फर्म के हस्ताक्षर और मुहर

अनुसूची–XIV

कम समय के लिए गाड़ियां किराए पर लेना

फर्मों के रजिस्ट्रेशन के लिए योग्यता की शर्तें इस प्रकार हैं:

1. फर्म का सालाना टर्नओवर पिछले तीन सालों में कम से कम 10 (दस) लाख रुपये होना चाहिए। टर्नओवर साबित करने के लिए फर्म की बैलेंस शीट देनी होगी। हालांकि, स्टार्ट–अप फर्मों के लिए यह शर्त ज़रूरी नहीं है।
2. सरकारी विभागों के लिए सामान और गाड़ियों आदि के ट्रांसपोर्टेशन का कम से कम तीन काम सफलतापूर्वक किया होना चाहिए। फर्म द्वारा किए गए सभी कामों के लिए वर्क ऑर्डर की कॉपी लगानी होगी। हालांकि, स्टार्ट–अप फर्मों के लिए यह शर्त ज़रूरी नहीं है।
3. फर्म को पोर्ट ब्लेयर से अलग–अलग द्वीपों और वहाँ से वापस सामान्य कार्गो (जैसे स्पेयर पार्ट्स, ऑटोमोटिव बैटरी, टायर और MS बैरल आदि) की शिपिंग के लिए शिपर/शिपिंग एजेंसी/फॉरवर्डिंग और क्लियरिंग एजेंट होना चाहिए। फर्म को अपने संगठन के बारे में दस्तावेज़ जमा करने होंगे।
3. फर्म को इसी तरह के काम में एक साल के अनुभव का भी ब्यौरा देना होगा, जिसके लिए दस्तावेज़ी सबूत देना ज़रूरी है।
5. सीरियल नंबर 1 और 2 में बताई गई योग्यता की शर्तें स्टार्ट–अप फर्मों के लिए ज़रूरी नहीं हैं।
6. संबंधित कैटेगरी के तहत MSME के तौर पर रजिस्टर्ड फर्म को पिछले टर्नओवर और पिछले अनुभव की शर्तों से छूट दी जाएगी, बशर्ते वे इसके समर्थन में सही दस्तावेज़ी सबूत जमा करें।

इच्छुक फर्में अपनी फर्म को लिस्ट में शामिल करने के लिए अपनी सहमति और नीचे दी गई जानकारी/दस्तावेज़ 03/08/2026 को 13:00 बजे तक जमा कर सकती हैं।

क्र. सं.	विवरण	जानकारी
1	रजिस्टर्ड वेंडर का नाम	
2	दुकान का नाम	
3	पता	
4	ईमेल (वैकल्पिक)	
5	वेबसाइट (वैकल्पिक)	
6	संपर्क नंबर	
7	बैंक का नाम, खाता नंबर और IFSC कोड आदि	

जिन चीज़ों का व्यापार किया जाता है/व्यवसाय का प्रकार – इन विवरणों के साथ नीचे दिए गए सर्टिफिकेट/दस्तावेज़ों की अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए:–

1. GST रजिस्ट्रेशन की कॉपी
2. मालिक (प्रोप्राइटर) का आईडी प्रूफ
3. आधार कार्ड की कॉपी
4. पैन कार्ड की कॉपी
5. पिछले तीन सालों का सालाना टर्नओवर दिखाने वाली बैलेंस शीट की कॉपी।
6. तीन सरकारी वर्क ऑर्डर की कॉपी
7. बैंक की जानकारी
8. MSME सर्टिफ़िकेट, अगर हो तो।

असिस्टेंट इंजीनियर (पी)

फर्म के हस्ताक्षर और मुहर

विश्व हेपेटाइटिस दिवसः बीमारी से बचने के लिए इन बातों का रखें ध्यान, जानें कारण व बचाव

नई दिल्ली, 27 जुलाई।

विश्व हेपेटाइटिस दिवस हर साल 28 जुलाई को हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो लीवर में सूजन का कारण बनता है और गंभीर बीमारी और लीवर कैंसर का कारण बनता है। यह अनुवांशिक कारणों, वायरस, ऑटो इम्यून या विषैले तत्वों के कारण होता है।

वर्ष 2026 में विश्व हेपेटाइटिस दिवस की आधिकारिक थीम 'हेपेटाइटिसः आइए इसे समझें' ("Hepatitis: Let's Break It Down") है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित इस थीम का मुख्य उद्देश्य लोगों और जीवन रक्षक स्वास्थ्य सेवाओं (जैसे टीकाकरण, जांच और उपचार) के बीच आने वाली वित्तीय, सामाजिक और व्यवस्थागत बाधाओं तथा भ्रांतियों को दूर करना है।

हेपेटाइटिस के वायरस पांच प्रकार के होते हैं– ए, बी, सी, डी और ई। इनमें हेपेटाइटिस बी और सी लाखों लोगों में पुरानी बीमारी की वजह से होते हैं, जो लीवर में जलन और संक्रमण के अलावा कई बार इस वायरस से लीवर फाइब्रोसिस या लीवर कैंसर तक होने की संभावना रहती है। हेपेटाइटिस ए और ई आमतौर पर दूषित भोजन या पानी के सेवन से होती है। कई बार हेपेटाइटिस वायरस का संक्रमण संक्रमित रक्त की शरीर में चढ़ने या संक्रमित शरीर के तरल पदार्थ के संपर्क में जाने से, जन्म के समय बच्चे को मां से भी होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कुछ प्रकार के हेपेटाइटिस संक्रमण का टीकाकरण के द्वारा बचाव संभव है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक स्टडी के अनुसार निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों में समय से पहले होने वाली 45 लाख मौतों को टीकाकरण, सही समय पर जांचें व दवाएं लेने से और जागरूकता अभियान के माध्यम से रोका जा सकता है।

हेपेटाइटिस ए और ई दूषित पानी और भोजन के माध्यम से फैलता है जबकि हेपेटाइटिस बी और सी शरीर के संक्रमित द्रव्य जैसे संक्रमित खून, सीमन, योनि के स्राव, और लार से फैलता है। इसके साथ ही असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई के उपयोग से फैलता है।

हेपेटाइटिस ए और ई के संक्रमण को व्यापक साफ सफाई रखकर कर रोका जा सकता है। इसके साथ हेपेटाइटिस ए का टीका भी उपलब्ध है। वहीं हेपेटाइटिस बी और सी के संक्रमण को सुरक्षित यौन संबंध, एक व्यक्ति के साथ ही शारीरिक संबंध बनाना, उचित बायो मेडिकल वेस्ट का निस्तारण, पहले से उपयोग की गई सुइयों के प्रयोग से बचाव कर हम रोक सकते हैं।

हेपेटाइटिस ए और बी वायरस को रोकने के लिए सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन उपलब्ध हैं जबकि हेपेटाइटिस सी वायरस को रोकने के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन डी को भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। हेपेटाइटिस ई संक्रमण को रोकने के लिए सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन विकसित किए गए हैं, लेकिन व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि इनमें कई वैक्सीन ऐसी हैं जिन्हें एडवांस में ही लगवाया जाता है। डायबिटिक, लेस्बियन, असुरक्षित यौन संबंध बनाने वालों, सेक्स वर्कर को दिया जा सकता है। हेपेटाइटिस बी से संक्रमित होने के बाद उससे बचाव के लिए हेपेटाइटिस बी के साथ हेपेटाइटिस सी इम्यूनोग्लोबिन के रूप में दिया जाता है।

अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और अमेरिकन कॉलेज ऑफ प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ (2018) के अनुसार हेपेटाइटिस बी से संक्रमित महिला बच्चे को स्तनपान करा सकती है। संक्रमित महिला को बच्चे को छह माह तक केवल स्तनपान कराना चाहिए। गर्भवती महिला को इस बीमारी से बचाव के लिए गर्भावस्था के समय जांच जरूर करानी चाहिए जिससे कि समय से इलाज हो सके। नवजात में इसके संक्रमण को रोकने के लिए जन्म के 12 घंटे के अंदर हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है।